

कार्यालय- मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक - 2836 (2836)

दिनांक- 8.9.2023

- संशोधित कार्यालय आदेश -
(रिमाण्ड ड्यूटी- सितम्बर, 2023)

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित कार्यालय आदेश (रिमाण्ड ड्यूटी-सितम्बर, 2023) क्रमांक 2809 दिनांक 05.09.2023 में आंशिक परिवर्तन करते हुए संशोधित आदेश निम्न प्रकार पारित किया जाता है कि -

1. उक्त कार्यालय आदेश द्वारा पीठासीन अधिकारी श्री आरूष त्रिपाठी, विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) क्रम 07 की दिनांक 10.09.2023 को एवं श्रीमती प्रियंका तानान, विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) क्रम 04 जयपुर महानगर-द्वितीय की दिनांक 23.09.2023 को आवश्यक फौजदारी कार्यों हेतु लगायी गयी रिमाण्ड ड्यूटी प्रशासनिक कारणों के आधार पर निरस्त की जाती है।
2. दिनांक 10.09.2023 एवं 23.09.2023 को उक्त दोनों पीठासीन अधिकारी की राजकीय अवकाशों में आवश्यक फौजदारी कार्यों (जिनमें जमानत, रिमाण्ड ड्यूटी, 164 द.प्र.सं. के बयान, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) हेतु ड्यूटी निम्नप्रकार लगायी जाती है।

| क्र.सं. | दिनांक अवकाश | नाम मजिस्ट्रेट न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय न्यायक्षेत्र | नाम पीठासीन अधिकारी व मोबाईल नम्बर |
|---------|--------------|--|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 10.09.2023 | विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) क्रम 04, जयपुर महानगर-द्वितीय | प्रियंका तानान 8003552975 |
| 2 | 23.09.2023 | विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) क्रम 07, जयपुर महानगर-द्वितीय | आरूष त्रिपाठी, 9818249394 |

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक - 2837 - 2848

दिनांक - 8.9.23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर-द्वितीय
2. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
3. श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर-द्वितीय
4. श्रीमान पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर,
5. पुलिस उपायुक्त, जयपुर पश्चिम/उत्तर/मुख्यालय/यातायात, जयपुर महानगर
6. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) क्रम 04/07, जयपुर महानगर-द्वितीय
7. सहायक निदेशक, अभियोजन द्वितीय, जयपुर
8. दी बार एसोसिएशन, बनीपार्क/कलेक्ट्रेट, जयपुर महानगर
9. पुलिस कन्ट्रोल रूम, जयपुर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने हेतु
10. नोटिस बोर्ड/कार्यालय आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की साईट पर नियमानुसार अविलम्ब अपलोड किया जावे
12. वरिष्ठ मुंसरिम, संस्थापन शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय।

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर-द्वितीय